संख्या- 45 /2024/ 294 /चार-2024-1782971

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2024**

विषय- रामोत्सव - अयोध्या - 2024 के अन्तर्गत **सांस्कृतिक संकुल, अयोध्या** स्थल पर मंच, लाइट, साउण्ड, साज-सज्जा टेण्ट सिटी आदि की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- 7828/15-1-1843/ ट्रै0टे0 / 2024, दिनांक 16 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार रामोत्सव - अयोध्या - 2024 के अन्तर्गत **सांस्कृतिक संकुल, अयोध्या** पर मंच, लाइट, साउण्ड, साज-सज्जा टेण्ट सिटी आदि की व्यवस्था हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 5,07,40,000/- (रूपया पांच करोड़ सात लाख चालीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त धनराशि आहरित कर उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-21- रामोत्सव, अयोध्या-2023-24-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 45 /2024/ 294 (1) /चार-2024-1782971, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in